

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सवोयोजन विभाग
संख्या 177/ VIII / 14-680(श्रम) / 2002 T.C
देहरादून 02 जनवरी 2015

29

अधिसूचना

राज्यपाल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा -7 के अन्तर्गत समस्त उपकर संग्रहण एवं निर्धारण अधिकारियों को अपनी अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत उपधारा (अ) (ब) और (स) के प्रयोजन हेतु अधिकृत करते हैं।

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या 177/ VIII / 14-680(श्रम) / 2002 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अपर / उप श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ शासन को तथा 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव

प्रभातः

136

6/2/15

पदाधिकारी/सहायक/अपर श्रमायुक्त

05/2/2015

